April to June 2022

Rajasthan Police Academy
News Letter

इस अंक में.........

- पुलिस दिवस समारोह
- यू.एन. रेजीडेंट कोर्डिनेटर इंडिया का RPA भ्रमण
- राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों का MCTP कोर्स
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम
- अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास
- आरक्षीगण बैच संख्या 90 का दीक्षान्त समारोह
- राजस्थान पुलिस की घुडसवारी टीम ने जीते पदक
- महिला कॉनिस्टेबल्स हेतु आत्मरक्षा पर TOT कार्यक्रम

निदेशक की कलम से...

राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए 16 अप्रेल 2022 को राजस्थान पुलिस दिवस समारोह राजस्थान के मुख्यमन्त्री माननीय श्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक प्रदान करने के साथ साथ मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का अपने उद्बोधन से मार्गदर्शन किया गया।

पुलिस दिवस के पावन अवसर पर ही नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा बालकों के अधिकारों में पुलिस की भूमिका पर व्याख्यान देकर अपने दृष्टिकोण को राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के साथ साझा किया।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा पुलिस कार्यप्रणाली को सहज बनाने तथा नवीनतम प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने हेतु राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिप़त्रों का संकलन किया गया है, जो निश्चय ही पुलिस अधिकारियों को उनकी कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता लाने में सहायक सिद्ध होंगें।

बाल संरक्षण के मुद्दों पर रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भरतपुर में दिनांक18.05.2022 से 19.05.2022 तक एवं कोटा रेंज में दिनांक 23.06.2022 से 24.06.2022 को आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य रेंज स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण से जोड कर उन्हें इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशील बनाना है।

बाल संरक्षण के साथ साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण, साईबर अपराधों का अनुसंधान तथा महिलाओं सुरक्षा से संबंधित ज्वलन्त मुद्दों के साथ साथ पुलिस कार्य प्रणाली से जुडे विषयों पर भी निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

पुलिस प्रशिक्षण के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस दिनांक 5 जून 2022 को तथा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून 2022 को मनाया जाकर पर्यावरण संरक्षण तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए अकादमी द्वारा अपना योगदान दिया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा पुलिस प्रशिक्षण, शोध एवं प्रकाशन के क्षेत्र में निरन्तर बेहतरी के प्रयास किए जा रहे है। राजस्थान पुलिस अकादमी की पूरी टीम इस प्रयास में सक्रिय भागीदारी प्रदान कर रही है।

राजीव शर्मा
निदेशक

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

16 अप्रेल 2022 को राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत को परेड द्वारा सलामी देकर किया गया। परेड का नेतृत्व प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। पिछले दो साल से कोराना महामारी के कारण पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन नही किया गया था इसलिये पदक अलंकरण नहीं किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक प्रदान किये गये। 7 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया एवं 60 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किया गया। पदक वितरण के पश्चात पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर ने स्वागत उद्बोधन दिया। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्बोधन दिया गया। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित राजकीय अस्पताल में रक्तदान

का कार्यक्रम रखा गया जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों ने रक्तदान किया।

पुलिस स्थापना दिवस की अंतिम कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बडा खाना समस्त पुलिस स्टाफ हेतू आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुनः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा एवं राजस्थान पुलिस के समस्त अधिकारी शामिल रहे। इस बड़े खाने में कॉनिस्टेबल से लेकर महानिदेशक महोदय ने एक साथ भोजन किया।

जस्टिस फोर एवरी चाइल्ड– रोल ऑफ पुलिस एंड सिविल सोसायटी

दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा जस्टिस फोर एवरी चाइल्ड– रोल ऑफ पुलिस एंड सिविल सोसायटी पर राजस्थान पुलिस अकादमी में उद्बोधन दिया गया। श्री कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि बच्चों पर हो रहे अत्याचार, बालश्रम, बाल दासता से मुक्त करवाने में पुलिस व अन्य सोसायटीज कैसे मदद कर सकती है। श्री कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से ही देश दुनिया में कई कानून बने। उनकी मांग पर ही भारत में 1986 में बालश्रम विरोधी कानून बन पाया। जिसे 2016 में संशोधित कर बालश्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल श्रम विरोधी विश्व यात्रा निकाली गई जिसके परिणामस्वरूप ही बाल अधिकारों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कनवेंशन–182 पारित किया था। कनवेंशन–182 खतरनाक बाल मजदूरी,बाल दासता, वेश्यावृति और युद्व व आपराधिक कामों में 18 साल तक के बच्चों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात करता है।

आर.पी.एस अधिकारियों का **Mid- Career Training Programme**

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 23–05–2022 से 27–05–2022 तक " Mid Career Training Programme "विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बैंच संख्या 1998, 1999 एवं 2001 के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्री अभय कुमार, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, ने कोर्स का औपचारिक उद्घाटन कर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान श्री मोहन लाल लाठर, ने प्रतिभागियो को राजस्थान राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था एवं पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा कर उनसे निपटने के उपायों पर प्रकाश डाला।

राजस्थान में सीसीटीएनएस और पुलिस द्वारा प्रयोग किये जा रहे ऐप , सड़क सुरक्षा– यातायात प्रबंधन, साइबर अपराधों की जांच ,पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी ,टीम निर्माण के बारे में, सोशल मीडिया का उपयोग ,कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने वाली शहरी पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने, नार्को आतंकवाद (आनॅलाइन), महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का अनुसंधान और पुलिस की भूमिका, कम्युनिटी पुलिसिंग, भीड़ प्रबंधन ड़ॉ रोहित कुमार, ने डार्क नेट और वीपीएन एवं कानून में नवीनतम संशोधन के बारे में

मानसिक स्वास्थ्य विषय पर प्रो. राधा रानी, डीन, रिसर्च एंड एकेडेमिया लीकेज, नई दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मनोविश्लेषण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। कोर्स के समापन में महानिदेशक (होमगार्डस) राजस्थान श्री यू.आर.साहू ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया का RPA भ्रमण

7 अप्रेल 2022 को मिस्टर शोम्बी शार्प, यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया, सुश्री इसाबेल बार्डेम, चीफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ राजस्थान , सुश्री राधिका कौल बत्रा, चीफ ऑफ स्टाफ यूएनआरसी नई दिल्ली ने श्री संजय निराला ,बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ राजस्थान और श्री गोविन्द बेनीवाल ,यूनिसेफ राजस्थान के साथ राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर का भ्रमण किया। श्री राजीव शर्मा निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने अतिथियों का स्वागत किया । उन्होने पूरे राज्य में राजस्थान पुलिस द्वारा की गई पहलों और अकादमी कें चल रही गतिविधियों और पाठ्यक्रमों पर एक प्रस्तुति दी। टीम ने सी.सी.पी. डब्ल्यू.सी पाठ्यक्रम व उप निरीक्षकों के पाठ्यक्रम का निरीक्षण किया।

आर.पी.एस बैच संख्या 53 का उद्घाटन समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 11 अप्रेल 2022 को आर.पी.एस बैच संख्या 53 का उद्वघाटन सत्र श्री एम.एल. लाठर महानिदेशक पुलिस की उपस्थिति में किया गया। श्रीमान द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा के नव नियुक्त अधिकारीगण का राजस्थान पुलिस में स्वागत कर पुलिस की लोक सेवक के रूप में भूमिका से सभी को अवगत कराया। श्री राजीव शर्मा निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा कोर्स की विस्तृत जानकारी दी गई। इस बैच में कुल 36 आर.पी.एस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

40वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की राजस्थान पुलिस की घुड़सवारी टीम ने जीते पदक

40वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता व घुडसवार पुलिस ड्युटीमीट 2021–22 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा किया गया था। उक्त प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की घुड़सवारी टीम ने 4 गोल्ड, 2– सिल्वर , 3– ब्रोंज मेडल जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। महानिदेशक पुलिस श्री एम.एल. लाठर एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री राजीव शर्मा द्वारा विजेता टीम को बधाई एवं शुभकामनाऐं दी गई।

आरक्षीगण बैच संख्या 90 का दीक्षान्त समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 31.05.2022 को आरक्षीगण बैच संख्या 90 का दीक्षान्त समारोह सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को इन्डोर में भारतीय संविधान, मानव अधिकार, पुलिस संगठन, स्थानीय एवं विशेष अधिनियम, पुलिस कार्यप्रणाली,व्यक्तित्व विकास, कानून व्यवस्था कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सी.सी. टी.एन.एस प्रणाली की जानकारी दी गयी। आउट्डॉर में ड्रील, शस्त्र प्रशिक्षण एवं मस्केट्री,बलवा परे, भीड नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। दीक्षान्त समारोह में 38 महिला आरक्षी व 48 पुरूष आरक्षी कुल 86 आरक्षीगण सम्मिलित हुये। परेड के मुख्य अतिथि श्रीमान बी.एल. सोनी महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो द्वारा सलामी ली गई व पुलिस के जवानों को मार्गदर्शन दिया। सम्पूर्ण प्रशिक्षण में आउट डोर प्रथम व ऑल राउण्डर बेस्ट का ट्रॉफी कॉनिस्टेबल रानी ,इण्डोर बेस्ट का अवार्ड कॉनिस्टेबल ज्योति शर्मा , फायरिंग बेस्ट का अवार्ड कॉनिस्टेबल भरत को दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम

5 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री एच. जी.राघवेन्द्र सुहासा, महानिरीक्षक पुलिस, श्री कैलाशचन्द उप महानिरीक्षक, प्राचार्य एवं सहायक निदेशक श्री भूपेन्द्र यादव , सहायक निदेशक आउट डोर श्रीमती सीमा हिंगोनिया , सहायक निदेशक इन्डोर श्री रेवन्तदान एवं अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर परा अकादमी परिसर में पौधे लगाए गए। राजस्थान पुलिस अकादमी में समय समय पर वृक्षारोपण कर पूरे परिसर को "Green Campus" के रूप में विकसित किया जा रहा है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल एव जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान की ओर से पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लेकर लोगों को प्रकृति के साथ जुडने ,हरियाली बढाने व सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं जाने का संदेश दिया। इस दौड़ में कुल 37 प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम

21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में विशेष योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। "Yoga for Humanity" थीम पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह थीम दर्शाती है कि महामारी के दौरान योग ने लोगों के कष्टों को कम करने और कोराना के बाद भू–राजनीतिक परिदृश्य में भी मानवता की सेवा की है। योग का नियमित अभ्यास शरीर को रोगमुक्त बनाता है, स्ट्रेस व तनाव भी दूर होता है, रक्त संचार और पाचन बेहतर होता है।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस श्री राघवेन्द्र सुहासा, समस्त स्टाफ व प्रशिक्षणार्थियों ने योग में भाग लिया।

भरतपुर एवं कोटा में बाल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 18.05.2022 से 19.05.2022 तक राजस्थान पुलिस अकादमी व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भरतपुर में भरतपुर रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण "पॉक्सो अधिनियम और अन्य यौन अपराध से संबंधित मोबाइल फोरेंसिक प्रशिक्षण" पर था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भरतपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्‌घाटन सत्र में श्री श्याम सिंह पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने प्रतिभागियों को महिलाओं तथा बालकों से संबंधित मामलों में संवेदनशील होकर कार्य करने तथा विधिक प्रावधानों तथा प्रक्रियों की जानकारी से अद्यतन रहने की बात कही। कार्यक्रम में श्री आर.एस शर्मा अतिरिक्त निदेशक(रिटायर्ड) विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर ने प्रतिभागियों को यौन अपराधों और पॉक्सो मामलों से संबंधित तथा अध्यक्ष बाल कल्याण समिति भरतपुर श्री गंगाराम पारासर ने बच्चों के खिलाफ अपराध और पॉक्सो अधिनियम में नवीनतम संशोधन 2012, बाल सरंक्षण के लिए कार्य कर रही अन्य एजेंसियों की भूमिका के बारे में बताया। प्रशिक्षण के समापन समारोह में श्री प्रसन्न कुमार खमेसरा, महानिरीक्षक कोटा पुलिस भरतपुर रेंज पधारे, जिन्होने प्रतिभागियों के साथ बालकों के साथ हो रहे अपराध व कानूनों के संबंध में पुलिस की भूमिका पर चर्चा की। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

कोटा रेंज में भी दिनांक 23.06.2022 से 24.06.2022 तक रेंज स्तरीय "पॉक्सो अधिनियम और अन्य यौन अपराध से संबंधित मोबाइल फोरेंसिक प्रशिक्षण " कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्‌घाटन सत्र में श्री केशर सिंह पुलिस अधीक्षक कोटा सिटी ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के महत्व व महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित नवीनतम कानून व प्रावधान से अद्यतन रहने के बारे में बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री आर.एस शर्मा व श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक ने पॉक्सो व यौन अपराधों के मामलो में नवीनतम कानूनी प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के समापन समारोह में श्री कावेन्द्र सागर पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण पधारे, जिन्होनें वर्तमान में महिलाओं व बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों व प्रशिक्षण के संबंध में प्रतिभागियों से चर्चा की एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये।

"TOT of Women Constable for Self Defence"

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 13.06.2022 से 17.06.2022 तक महिला कॉनिस्टेबल्स का "TOT of Women Constable for Self Defence" सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 132 महिला कॉनिस्टेबल्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री कैलाश चन्द उप महानिरीक्षक व श्री योगेन्द्र फौजदार सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्रीमति सुनिता मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर द्वारा आत्मरक्षा इण्डोर और नियमित जीवन तकनीक, निर्भया स्क्वॉड टीम के बारे में बताया। डॉ सुमन ढाका सहायक प्रोफेसर राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। श्री मनोज रमन साइबर फोरेंसिक सलाहकार जयपुर ने वेब पर बच्चों को सुरक्षित रखना, बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण, अपराधों से बचाव के बारे में बताया । श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी के

द्वारा बालश्रम अधिनियम 1986 व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। यौन अपराधों से निपटने के लिए जीवन कौशल के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के समापन समारोह में श्री कैलाश चन्द उप महानिरीक्षक पधारे जिन्होने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बधाई देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बधाई देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे प्रयास उर्जा का संचार करते है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि ने प्रमाण पत्र व फोटो वितरित कियें।

आर्थिक अपराधों के अनुसंधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थाान पुलिस अकादमी में दिनांक 30–05–2022 से 04–06–2022 तक" Investigation of Economic Offence "विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 28 प्रतिभागियों जिसमें 04 पुलिस उप अधीक्षक, 20 पुलिस निरीक्षक एवं 04 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

कोर्स में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों , विषय विशेषज्ञों, राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न और प्रवर्तन एजेंसियों का परिचय REIC, DRI, SDRI, FIU, धन शोधन निवारण अधिनियम एवं बेनामी संपत्ति के मामले, संपत्ति की कुर्की, बैंक खातों की फ्रीजिंग और ईडी की भूमिका, पुलिस द्वारा जांच किए गए मामले का अध्ययन ईडी को हस्तांतरित के बारे में, आर्थिक अपराधों की केस स्टडी ,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000/2008 सहित साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान एवं साइबर अपराध और व्यावहारिक अभ्यास, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (टीपीए), मुख्तारनामा, वसीयत, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और संबंधित विवाद एवं भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच – दोहरा पट्टा, जाली करार ,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 नवीनतम संशोधनों और केस स्टडी ,संगठित गिरोहों की संपत्ति जब्ती के बारे में, दस्तावेज़ परीक्षा, विवादित लिखावट की पहचान,

हस्ताक्षर और दस्तावेज़ के बारे, कोर्स के समापन में श्री गौरव यादव, पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी. जयपुर ने कोर्स से सम्बान्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

राजस्थान पुलिस अकादमी में परिपत्र/स्थाई आदेश संग्रह का प्रकाशन

पुलिस कार्यप्रणाली को सहज बनाने तथा नवीनतम कानूनी संशोधन/प्रक्रियाओं को लागू करने हेतू मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से समय समय पर राज्य सरकार तथा पुलिस मुख्यालय के स्तर पर स्थाई आदेश तथा परिपत्र जारी किए जाते है। ये स्थाई आदेश/ परिपत्र न केवल पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करते है अपितु उन्हें अपने कार्यों को सहज रूप से संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। स्थाई आदेशों/परिपत्रों की सहज एंव सरल पहुंच के उद्देश्य से यह संग्रहिका "परिपत्र/स्थाई आदेश" तैयार की गई है। इस संग्रहिका में न केवल पुलिस कार्यप्रणाली अपितु पुलिस कार्मिकों के कल्याण, सामुदायिक पुलिसिंग,पुलिस थाना प्रबंधन जैस महत्वपूर्ण विषयों पर जारी स्थाई आदेश/ परिपत्रों का संकलन किया गया है। यह संग्रहिका निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों को अद्यतन करने के साथ उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित संवेदनशीलता लाने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही पुलिस कर्मियों को अपने दायित्वों का विधिपूर्ण तरीके से निर्वहन करने में मार्गदर्शन का कार्य करेगी।

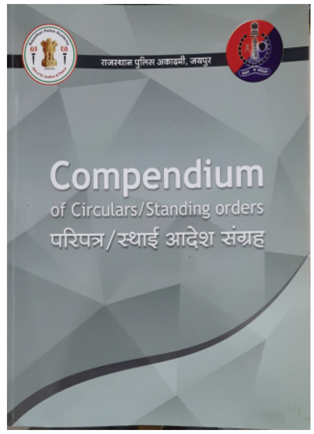

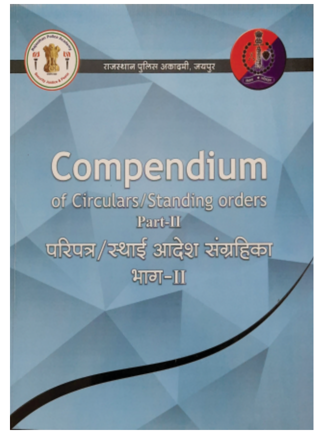

"Cyber Forensic Analysis of Digital Evidence A Hands on Approach" प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 28–06–2022 से 30–06–2022 तक **"Cyber Forensic Analysis of Digital Evidence A Hands on Approach"**विषय पर 3 दिवसीय आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें 01 पुलिस उप अधीक्षक,09 पुलिस निरीक्षक, 15 उप–निरीक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री कैलाश चन्द जाट, उप महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया गया। श्रीमान द्वारा उदबोधन में साइबर क्राइम के बढते अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के दौरान साइबर विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल साख्य को एकत्रित करना एवं जप्ती उनका रख रखाव , कम्पयुटर फोरेन्सिक फण्डामेण्टल,डिजिटल फोरेन्सिक टूल ,डिजिटल एवीडेन्स में हैस वैल्यू का महत्व, हार्डवेयर एवं सॉफटवेयर के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। डा. विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक साइबर फोरेन्सिक एफ.एस. एल. जयपुर द्वारा मोबाइल फोरेन्सिक, फाइल सिस्टम इन मोबाइल, साक्ष्य में मोबाइल की महत्वता के बारे में जानकारी दी गई। समापन–समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजीव कुमार शर्मा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आरपीए जयपुर द्वारा समापन उद्बोधन व प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र

सेवानिवृति समारोह

दिनांक 30.04.2022 को श्री देवी सिंह उप निरीक्षक ,श्री गिरधारी लाल शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री बोदूराम दफ्तरी के सेवानिवृति पर राजस्थान पुलिस अकादमी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। श्री देवीसिंह उप निरीक्षक ,श्री गिरधारी लाल शर्मा वरिष्ठ सहायक, श्री बोदूराम दफ्तरी ने अकादमी में पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारीगण के द्वारा मिले

सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने तीनो अधिकारी व कर्मचारी को साफा और माला पहनाकर विदा किया और स्मृति चिन्ह भेंद किया। सेवानिवृति के अवसर पर तीनों अधिकारी व कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए बधाई दी एवं आगामी जीवन के लिए उन्हें व उनके परिवार जनों को

शुभकामनाऐं दी। विदाई समारोह के इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी सहित बडी संख्या में अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

दिनांक 30.06.2022 को श्री कैलाश चन्द बलराज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवानिवृति पर राजस्थान पुलिस अकादमी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। श्री कैलाश चन्द बलराज ने अकादमी में पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारीगण के द्वारा मिले सहयोग के

लिए धन्यवाद व्यक्त किया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने श्री कैलाश चन्द बलराज को साफा और माला पहनाकर विदा किया और स्मृति चिन्ह भेंद कर उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाऐं दी।

धारा 319 – अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों (आरोपी से भिन्न) को समन करने की न्यायालय की शक्ति एवं सीमाएं।

सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य निर्णय तिथि 10 मार्च 2022 नान– रिपोर्टेबल केस, जस्टीस अजय रस्तोगी और अभय एस.ओ का, न्यायमूर्तिगण।

निर्णय सार– धारा 319 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग न्यायालय को केवल तब ही करना चाहिए जब साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है और साक्ष्य ऐसा है कि यदि वह अखण्डनीय रहा तो वह उस व्यक्ति की दोषसिद्धी की अग्रसर करेगा (हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 SSC 92 – संविधानपीठ का निर्धारण)।

(2) इस मामले में अपीलार्थी और एक अन्य अभियुक्त जगपाल ने परिवादी के पुत्र को बुलाकर मदद के लिए गन्ने के खेत पर ले गये। जब परिवादी अपने पुत्र को बुलाने बया, तो वह इलेक्ट्रिक शॉट से जमीन पर पडा था। बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। जगपाल को भा.दं.स. की धारा 302 के अन्तर्गत अभियोजित किया गया। परिवादी ने अपीलार्थी को भी अभियुक्त बनाने हेतू धारा 319 के अन्तर्गत आवेदन किया। सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों में पाया कि अपीलार्थी जो घटना के समय अवयस्क था, ने मृतक के शरीर से इलेक्ट्रिक वायर निकाला था। अन्वेषण अधिकारी ने भी स्वीकार किया था कि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलती से दर्ज हो गया था। अतः सत्र न्यायालय ने परिवादी का आवेदन अस्वीकार कर दिया, किन्तु परिवादी की अपील पर आपेक्षित निर्णय दिनांक 28.07.2021 के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के निर्णय को निरस्त करके आवेदन पर विचार करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया, जिसके लिए कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। उपर्युक्त निर्णीत विधि के आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त और सत्र न्यायालय का निर्णय अनुमोदित।।

धारा 20 एन.डी.पी.एस एक्ट के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा दोषमुक्ति तथा उच्च न्यायालय के द्वारा दोषसिद्वी की वैधता कें संबंध में।

संजीव और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य , निर्णय तिथि 09 मार्च 2022 (नॉ रिपोर्टेबल केस)

जस्टीस उदय उमेश ललित, एस. रविन्द्र भाट और पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्तिगण।

प्रावधान – धारा 20 – अपीलार्थी के पास से आरोपित 1.5 कि.ग्रा कैनेबिस (चरस) की जब्ती पर विचारण न्यायालय के द्वारा दोषमुक्ति तथा उच्च न्यायालय के द्वारा दोषसिद्वी की वैधता।

निर्णय सार – जहाँ कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उसके पास से विनिषिद्ध पदार्थ (चरस) की जब्ती सूनसान जगह पर दर्शाया गया, निर्जन स्थान होने के कारण स्वतंत्र साक्षी के अभाव में पुलिस पार्टी के सदस्य ही साक्षी बने और अभियुक्त को तलाशी के विकल्प की सूचना दिए बिना अपीलार्थी की निजी तलाशी ली गई व बैग से जब्ती दिखाया गया, विचारण न्यायालय ने ठीक ही निम्न आधारों पर अपीलार्थी को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया कि

i जब्त पदार्थ का एफ एस एल रिपोर्ट कहीं भी यह दर्शित नही करता है कि वह (रेसिन) कैनिबस पौधा था ताकि उसे 'चरस' के परिभाषा के अन्तर्गत लाया जा सके।

ii पुलिस ने अपीलार्थीगण को एक सक्षम राजपत्रित अधिकारी के मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने का विकल्प बिल्कुल ही नहीं दिया।

iii अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से, अभियोजन के मामले पर विश्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता है।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एन डी पी एस) अधिनियम ,1985

2. उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील के मामलों में स्थापित विधि की उपेक्षा करते हुए अपीलार्थीगण को अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दोषसिद्व एवं 1 लाख रूपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष्र के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया, इस तथ्य के बावजूद की अपीलार्थीगण को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी का विकल्प नहीं दिया गया था, भले ही पुलिस के द्वारा तलाशी में अपीलार्थीगण के पास से विनिषिद्ध पदार्थ जैसा कुछ भी जब्त नहीं हुआ था।

3. जब विचारण न्यायालय के दोषमुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील सुना जाय, जब अपील न्यायालय को अवश्य ही विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गए कारणों एवं साक्ष्यों की समीक्षा की जानी चाहिए (विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य (2019) 5`ब 436 य अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 10`ब 166)। किसी दाण्डिक मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा दोषमुक्ति के किसी आदेश में निर्देशिता की उपधारणा को प्रबलता प्रदान की जाती है (अटले बनात उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1955 SC 807) Aa

4. तदनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त, विचारण न्यायालय का निर्णय पुर्नस्थापित। अपीलार्थीगण तत्काल मुक्त किए जाने के लिए निर्देशित यदि वे किसी अन्य मामले में अपेक्षित न हों। यदि अपीलार्थीगण ने कोई जुर्माना जमा किया है, उसे भी वापस किए जाने हेतु निर्देशित।

If You Want Peace Work For Justice

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैसिक कोर्स
दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2022 तक

	RPS (Prob) Basic Training, **Batch-53**	36	11.04.2022	11.02.2023	36
	RPS (Prob) second phase, **Batch-49**	03	27.06.2022	17.09.2022	3
	RPS Induction course, **Batch No. 08**	72	07-03-2022	16.04.2022	72
	S.I.(Prob.) Basic Training, **Batch-48**	207	04.10.2021	02.08.2022	207
	S.I.(Prob.) Basic Training, **Batch-49**	04	28.12.2021	27.10.2022	04
6	Basic Course of Male/Female **Constable Recruits** Batch No. 90	86	23.08.2021	22.05.2022	86
8	Professional Course of Male/Female **Constable Recruits** (Band) Batch No. 19	02	02.03.2022	23.11.2022	02
9	Basic Course of Male/Female **Constable Recruits** Batch No. 92	168	31.01.2022	09.11.2022	181
10	Basic Course of Male/Female **Constable Recruits(Sports)** Batch No. 93	44	13.06.2022	16.09.2022	44
11	AEO(General),AEO (EPF)and Excise Inspectors'' (Inhouse) Batch No. 01	39	07.03.2022	13.04.2022	39
	Total				**674**

पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2022 तक		प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	PCC for **Constable to Head Constable Mounted** Batch No. 16	02
2	PCC for **Constable to Head Constable**(Band) Batch No. 13	06
3	PCC for **SI to CI** Batch No. 84	02
4	PCC for **ASI to SI** Batch No. 54	35
5	PCC for **Constable to Head Constable (band)**Batch No. 14	03
	Total	**48**

सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम कोर्सेज दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2022 तक		प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	Three-day training Programme on **''Cyber Crime awareness for Police Officers** ''(CCPWC)was organized for Sub -Inspectors to Inspectors	34
2	Five-day training Programme on'' Cyber Crime Investigation For Police Officers''was organized for Sub-Inspectors to Inspectors	76
3	Ten-day training Programme on'' ''Cyber Crime Investigation Advance Course'' was organized for Sub-Inspectors to Inspectors	19
4	Three-day training Programme on''Cyber Forensic Analysis Of Digital Evidence-a Hands-on Approach'' was organized for Sub -inspectors To Dysp	25
	Total	**154**

विशिष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2022 तक

1	Four-day training Programme on '' **Improvement in Police Behaviour''** (For Sub-Inspector to Inspector)	23
2	Two day training Programme on **''TOT For Police Officers On Suraksha Sakhi''** was organized for Constable to Dysp	22
3	Five-day training Programme on **''Art Of Supervision Of Investigation For Senior Officers** ''was organized for Dysp to Above	17
4	Two day training Programme on ''**TOT of Police Ofiicers for Capacity Building of Suraksha Sakhi Batch-2''** was organized for Constable to Dysp	46

5	Two day training Programme on "**TOT of Police Ofiicers for Capacity Building of Suraksha Sakhi Batch-3**" was organized for Constable to Dysp	40
6	Two day training Programme on "**Child Protection Issue**" was organized for Constable to Dysp	51
7	Six day training Programme on "**Induction Course For Custom Inspector**"	32
8	Three-day training Programme on "**Investigation of Cases under POCSO Act 2012**" was organized for Sub -Inspectors to DYSP"	35
9	Nineteen -day training Programme on "**TOT On CCTNS**" was organized for consables"	35
10	Five-day training Programme on" Weekly Training Programme for Indoor Ministerial Staff "was organized for ministerial staff and police constables"	14
11	Two day training Programme on "**Range Level Training on Mobile Forensie relating to offences under POCSO Act. and Other Sexual offences**" "was organized for ASI to Addl.SP"	35
12	Three-day training Programme on "**Sensitization of Police & Prisons Officials on the Implementation of Transgender persons (protection of rights) act 2019 & 2020**"was organized for ASI to CI "	42
13	Five-day training Programme on" "**Working of Adarsh Police Stations**" _"was organized for Head constable to CI"	45
14	Five-day training Programme on" "**Mid Career Training Programme**""was organized Additional Sp.	35
15	"Five-day training Programme on" **Investigation of Economic Offennce**" was organized for Sub -Inspectors to DYSP"	28
16	Two day training Programme on "**Various Mobile Web Application Used in Rajasthan Police & Citizen Services**"	10
17	One-day training Programme on "Complain Module" was organized for Inspectors	11
18	One-day training Programme on "Analytics & Report Module" was organized for Inspectors	08
19	Two-day training Programme on "Social Media Awareness & Investigation" was organized for ASI - to DYSP	34
20	Five -day training Programme on "ministerial staff and police constables Programme"was organized for Clerk to constable	13
21	One -day training Programme on "Case Diary and Case Diary Digest Module" was organized for Sub -Inspectors to Inspectors	11+8
22	Five -day training Programme on "Investigation of Organized Crime" was organized for SI - to DYSP	36
23	Five -day training Programme on"Mobile Investigation Unit"was organized for constables toCI"	77
24	Five -day training Programme on "Self Defense Technique For Women Police Constable" was organized for constables to Head constables"	132
25	Two-day training Programme on "Range Level Training on Mobile Forensie relating to offences under POCSO Act. and Other Sexual offences"	53
26	Six-day training Programme on"Training Program for Training of Trainers (TOT) For the course on Investigation power to Constables" was organized for ASI to CI"	35
27	Five -day training Programme on "Training of Investigation of Murder/ Homicide Cases" was organized for Sub-Inspectors to Dysp"	19
28	Three-day training Programme on "Wildlife Crime Control" was organized for Sub -Inspectors to Dysp"	33
	Total	**980**

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Sharma, IPS, Director

Editor
Dheeraj Verma, Inspector

Members

1. Sh. Raghvendra Suhas, IG
2. Sh. Kailash Chandra, DIG
3. Sh. Bhupendra Yadav, AD
4. Sh. Rewant Dan, AD
5. Sh. Saurabh Kothari, AD
6. Sh. Yogendra Fojdar, AD
7. Sh. Anil Rao, AD
8. Smt. Seema Hingonia, AD
9. Smt. Saroj Kumawat, SI

Photograph by : Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : dirrpa@gmail.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097